प्रारूप – 5

परियोजना का नाम – भटाड़ पेयजल योजना

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है, यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुस्त स्वीकृति प्राप्त हो, तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाए।

हस्ताक्षर
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
विकासनगर, नियर पुल न0-1

Scanned with CamScanner

संख्या–1845 / उन्तीस(2) / 19–2(262पे0) / 2018

प्रेषक,

जी0बी0 ओली
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 18 अक्टूबर,2019

विषय :– **नाबार्ड की RIDF-XXV (फेस–05) के अंतर्गत वित्त पोषित 11 नयी पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–692 / 01(110) / XXVII(1)/2016 दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड RIDF-XXV (फेस–05) के अंतर्गत 11 पेयजल योजनाओ का वित्त पोषण किये जाने हेतु अनुमोदित लागत रू0 6737.24 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष, 2019–20 में संलग्न तालिका के कालम संख्या–07 के अनुसार 30 प्रतिशत एडवांस मोबलाइजेशन की धनराशि रू0 1820.67लाख (रू0 अठारह करोड़ बीस लाख सरसठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) जनपद अल्मोड़ा की हंसीढूंगा गूजरकोट ग्राम समूह पेयजल योजना एवं जनपद देहरादून की अटाल पेयजल योजना पूर्व में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत के कम में हंसीढूंगा गूजरकोट ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु शासनादेश संख्या–352 / उन्तीस(2) / 19–2(135पे0) / 2006 दिनांक 08 मार्च,2019 एवं जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता की अटाल पेयजल योजना हेतु शासनादेश संख्या–144 / उन्तीस(2) / 19–2(234पे0) / 2018 दिनांक 16 जनवरी, 2019 निर्गत किया गया था, किन्तु उक्त दोनो योजनाओ का वित्त पोषण नाबार्ड के अंतर्गत किये जाने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के अंतर्गत उक्त योजनाओ का वित्त पोषण किये जाने हेतु उक्त निर्गत शासनादेशों को निरस्त किया जाता है। यदि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है तो उक्त धनराशि को तत्काल समायोजित किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक है।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

Scanned with CamScanner

(vi) अनुमोदित कार्ययोजना नाबार्ड की गाईड लाईन एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों का अनुपालन करते हुए समयान्तर्गत पूर्ण की जाय।

(vii) मोबलाइजेशन हेतु स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग एवं व्यय तथा कार्य योजना की प्रगति आख्या आगामी किश्त लेने से पूर्व शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(viii) यदि कार्य योजना के तकनीकी पहलुओं पर किसी प्रकार की तकनीकी जॉच की आवश्यकता हो तो कार्य योजना प्रारम्भ होने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(ix) अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार धनराशि व्यय की जाय। संशोधित कार्य योजना एवं पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

(x) कार्य योजना विवादित होने की स्थिति में तत्काल वित्त विभाग को अवगत कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।

(xi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(xii) मुख्य सचिव , उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2047/xiv.219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्त व्यय समिति के दिशा–निर्देशो का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय– 01–जलापूर्ति–102– ग्रामीण जलपूर्ति– 98 नाबार्ड वित्त पोषित – 01– नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओ हेतु अनुदान– 24 वृहद निर्माण मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H 19100130024 दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29 मार्च,2019 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 792/ XXVII(2)/2019 दिनांक 16 अक्टूबर,2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(जी0बी0 ओली)
अपर सचिव ।

पृ0 संख्या– /उन्तीस(2)/19–2(262 पे0)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3–जिलाधिकारी, देहरादून।

4–निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

Scanned with CamScanner

5—मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6—वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7—बजट निदेशालय, देहरादून।
8—वित्त अनुभाग—/2, उत्तराखण्ड शासन।
9—मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
10—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner

पेयजल निगम की वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु नाबार्ड RIDF-XXV (फेस–5) के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओ का विवरण

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रमांक	जनपद	योजना का नाम	योजना की अपग्रेटेड लागत, सैन्टेज सहित	राज्यांश, 10 प्रतिशत	नाबार्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित धनराशि सैन्टेज सहित	30 प्रतिशत मोबलाइजेशन एड्वांस की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	अल्मोड़ा	हंसीढूंगा गुजरकोट ग्रा0स0 पं0पे0यो0	3470.91	347.09	3123.82	937.15
2	देहरादून	भटाड पे0यो0	41.01	4.10	36.91	11.07
3	देहरादून	रामनगर डाडा (पुर्नगठन) पेयजल योजना	294.44	29.44	265.00	79.50
4	देहरादून	थेवा मालदेवता पे0यो0	198.90	19.89	179.01	53.70
5	देहरादून	अटाल पे0यो0	359.33	35.93	323.40	98.64
6	नैनीताल	ईसाई नगर (नं0–1) पूरनपुर कुमल्टिया नलकूप पे0यो0	334.11	33.41	300.70	90.21
7	नैनीताल	जयदेवपुर–छडायल नयाबाद पेयजल सुदृढीकरण योजना	377.36	37.74	339.62	101.89
8	पिथौरागढ़	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–697/17 के अंतर्गत गुंजी पे0यो0	108.55	10.86	97.69	29.31
9	पौड़ी	पुन्डोरी ग्रा0स0पं0पे0यो0	296.50	29.65	266.85	80.06
10	टिहरी	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–150/2017 के अंतर्गत बनाली पं0पे0यो0	1158.56	115.86	1042.70	312.81
11	टिहरी	क्यार सोड ग्वालना पे0यो0	97.57	9.76	87.81	26.34
		योग	6737.24	673.73	6063.51	1820.67

(Mahaveer Singh Chauhan)
Joint Secretary

C:\Users\A\Desktop\lattest folder nabard\JN NABARD 5-19-03-2019...

Scanned with CamScanner